सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 13/16 निर्णय दिनांक 9.03.2018

1. रामेश्वर पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दुदेर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये जरिये तहसीलदार कोलायत।

–अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी,बीकानेर दिनांक 09–04–2015

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 09–04–2015 जिसके द्वारा प्राथी की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 एवं सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने भूमि आवंटन नियमों के तहत बतौर भूमिहीन होने के नाते भूमि आवटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा प्रार्थना पत्र को कब खारिज किया गया व कब पत्राली तलफ की गई इसकी कोई जानकारी अथवा सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई। जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उससे संबंधित पक्षकार को सुनना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है तथा यह तथ्य एरर एपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड है।

उन्होंने आगे बताया कि काफी लम्बे अंतराल के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना नहीं दी गई तो उसके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होने पर उसे बताया गया कि आपकी पत्रावली तलफ की दी गई है जबकि नियमानुसार 12 वर्ष से पूर्व कोई भी पत्रावली तलफ नहीं की जा सकती। यदि तलफ की भी जाती है तो उसके मूल दस्तावेज तलफ नहीं किये जा सकते। प्रार्थी द्वारा इसी तथ्य को आधार बनाकर जानकारी के दिन से अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपील के साथ धारा 5 मियांअ अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। उसके प्रतिउत्तर में राज्य की तरफ से कोई काऊन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की गई है तो विधि सम्मत नहीं है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने आगे बताया कि अदालतहाजा द्वारा धारा 13(7) का हवाला देते हुए अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है जबकि धारा 13(7) की पालना कब और कैसे की गई इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। इस प्रकार धारा 13(7) की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई इसके बावजूद भी अदालत हाजा द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट की अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अपीलांट ने अपीलें अत्याधिक लम्बे अन्तराल के पश्चात् प्रस्तुत की गई अतः अपीलें खारिज की जाती है। इसप्रकार अदालतहाजा द्वारा धारा 13(7) की पालना नहीं की गई है यह तथ्य भी

एरर एपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड होने से प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया एवं अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 09–04–2015 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 09–04–2015 से व्यथित होकर उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मूलतः कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र को बिना सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज कर दिया गया तथा अदालत मातहत द्वारा उक्त खारिज की कोई सूचना अपीलांट को प्रदान नहीं की गई जो विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत है। यह तथ्य एरर एपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

(2) प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र का दूसरा मुख्य आधार अदालहाजा द्वारा आवंटन नियमों की धारा 13(7) की पालना नहीं किया जाना लिया गया है तथा कथन किया गया है कि उक्त धारा की पालना कब और कैसे की गई किसके द्वारा की गई तथा किस तारीख को की गई उसकी सूची की प्रति सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई उसके अभाव में धारा 13(7) की पालना किया जाना मानकर अदालत हाजा द्वारा कानूनी भूल की गई है।

(3) हमने अपीलाधीन निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अपील इस आधार पर खारिज की गई है कि "आवंटन अधिकारी के आदेश की अपील नियमानुसार 30 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।" जबकि अपीलांट द्वारा उक्त अपीलें लगभग 25 से 30 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है। जहॉ तक नियम 13(7) की पालना प्रश्न है इस संबंध में आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र की खारिजी की सूचना स्वयं के कार्यालय/न्यायालय एवं राजस्व तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाई गई है जो पर्याप्त है। खारिज की सूचना अलग से दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा अपीलांट की अपीलें अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज की गई है।

(4) पत्रावली के अवलोकन से अपील निर्णय दिनांक 09–04–2015 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे रिव्यू के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 09–04–2015 कायम रखा जाता है

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 9.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर